

राजाज्ञा संख्या 2492/36-1-2000-549 (एस.टी.)-84 दिनांक 15-5-2000 के अनुसार 50 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग उद्योगों में 426 अंक के ऊपर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1982 = 100 के आधार पर जनवरी 2017 से जून 2017 के औसत सूचकांक 1279 पर निम्न तालिका के अनुसार परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें देय होंगी:-

दृष्टांत - 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन के अकुशल कर्मचारियों को औसत 1279 पर दिनांक : 01-08-2017 से दिनांक : 31-01-2018 तक प्रतिमाह मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा-

$$\frac{(1279 - 426) \times 2535.00}{426} = 5075.95 \text{ या } 5076$$

1- 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन :-

क. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 1279 पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिनांक 01-08-2017 से दिनांक : 31-01-2018 तक
1	अकुशल	2535.00	5076
2	अर्द्धकुशल	2785.00	5577
3	कुशल	3090.00	6187

2- 500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन :-

क. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 1279 पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिनांक 01-08-2017 से दिनांक : 31-01-2018 तक
1	अकुशल	2660.00	5326
2	अर्द्धकुशल	2925.00	5857
3	कुशल	3190.00	6387

Hand
(डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या 3350 /4-01/07

दिनांक : 17/08/2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

1- उप श्रम आयुक्त, गढवाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।

2- उप श्रम आयुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

Hand
(डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।